

मनसुखी पटटानामा कृषि भूमि

स्टाम्प.....रूपये

स्टाम्प क्रमांक..... दिनांक स्टाम्प की संख्या

मनसुखी पटटा नामा आज दिनांक———को
.....—पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा—.....
आयु— वर्ष — निवासी ——तहसील —— जिला ——
राज्य——— | (प्रथम पक्ष)

श्री/श्रीमती —————— पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा
— आयु वर्ष — निवासी ——तहसील —— जिला ——
राज्य——— (द्वितीय पक्ष) के मध्य निष्पादित किया गया है ।

कृषि भूमि खेवट/खतौनी/खसरा न0 — तादादी— कनाल— मरला/विघा— बिस्वा
का— कुल हिस्सा क्षेत्रफल — कनाल—मरला/विघा— बिस्वा— वर्ग गज—
वर्गमीटर स्थित गांव/शहर— हदबस्त न0— तहसील—जिला— जमाबन्दी वर्ष
— कनाल/विघा— मरला/बिस्वा— स्थित तहसील
— जिला — जो अनुसूची मे दर्शाया गया है, जिसका प्रथम पक्ष मालिक है जो
बरुवे पटटा नामा कृषि भूमि म्याद — वर्ष (—..... ता..... ——)
मुबलिग — रूप्ये वार्षिक की दर से बरुवे पटटा नामा रजिस्ट्री नम्बर — तिथि— सब
रजिस्ट्रार — द्वितीय पक्ष के पास पटटे पर चली आ रही है क्योंकि पटटे नामे का उदेश्य पूर्ण
हो गया है इसलिए द्वितीय पक्ष को भूमि उपरोक्त को आगे पटटा पर रखने मे कोई लाभ नहीं है ।
इसलिए दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी से उपरोक्त पटटा नामा को निरस्त करने का फैसला लिया है
। पटटा नामा को आज से निरस्त मानते हुए द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष को दे
दिया है । आज के बाद द्वितीय पक्ष का उपरोक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । एक दूसरे पक्ष
की तरफ कोई लेनदारी देनदारी बकाया नहीं रही है । कागजात माल में पटटा निरस्ती करण का
दाखिल खारिज/इन्तकाल द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के नाम करा देगा । आज के आद उपरोक्त भूमि
का मालिक प्रथम पक्ष होगा । यह है कि दाखिल खारिज प्रथम पक्ष के नाम द्वितीय पक्ष की गैर
हाजिरी में हो जावे तो द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः यह मनसुखी पटटानामा लिख
दिया है कि बतौर साक्षी प्रमाण रहे ताकि समय पर काम आये । दिनांक———

अनुसूचि

खेट / खतौनी / खसरा न0 ----- तादादी----- कनाल----- मरला / विघा----- बिस्वा का-----
कुल हिस्सा क्षेत्रफल ---- कनाल----मरला / विघा----- बिस्वा----- वर्ग गज----- वर्गमीटर
स्थित गांव / शहर----- हदबस्त न0----- तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

गवाह